

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

दिनांक-09 नवम्बर 2023

संख्या-09/नि0-19-01/2023, सा0प्र0-20904/भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

(1) यह नियमावली "बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफरसिल कार्यालयों तक रहेगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005 के नियम-2 के उप नियम (ख) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-2 के उप नियम-(ख) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है-

"आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग"

3. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005 के नियम-2 के उप नियम (ङ) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-2 के उप नियम-(ङ) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है-

"मेधा सूची से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(किशोर कुमार प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-09/नि0-19-01/2023 सा0प्र0-20904 पटना-15, दिनांक-09 नवम्बर 2023
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (ई-गजट कोषांग) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-09/नि0-19-01/2023 सा0प्र0-20904 पटना-15, दिनांक-09 नवम्बर 2023
प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

दिनांक-09 नवम्बर 2023

संख्या-09/नि0-19-01/2023, सा0प्र0-20905/अधिसूचना संख्या-20904/
दिनांक-09 नवम्बर 2023 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से
एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन
अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(किशोर कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department
Notification

Patna-15, Dated- 09 November 2023

No.-09/Ni-19-01/2023, GAD-20905/In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Drivers (Appointment & Service Condition) Rules, 2005".

1 . Short title, extent and commencement-

- (1) These Rules may be called as the "Bihar Drivers (Appointment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023"
- (2) It extends to the Secretariat Departments, attached offices and Mufassil office at different levels of the State Government.
- (3) It shall come into force at once.

2. Sub-Rule (b) of Rule 2 of the said-Rule, 2005 shall be substituted by the following- "**Commission**" means the **Bihar Technical Service Commission**.
3. Sub-Rule (e) of Rule 2 of the said-Rule, 2005 shall be substituted by the following- "**Merit List**" means the **List of Candidates recommended by the Bihar Technical Service Commission**.

By order of the Governor of Bihar,


(KISHORE KUMAR PRASAD)

Joint Secretary to Government.

Memo-09/Ni-09-01/2023 GAD-20905

Patna-15, Dated- 09 November 2023

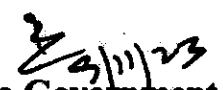
Copy to Finance Department, Gazette Cell, Bihar, Patna for publication in an extraordinary issue of the Bihar Gazette and sending its 300 (Three hundred) copies to this department.


Joint Secretary to Government.

Memo-09/Ni-09-01/2023 GAD-20905

Patna-15, Dated- 09 November 2023

Copy to All Departments/ All Head of Departments/ All Divisional Commissioners/All District Magistrates/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission / Secretary, Bihar Technical Service Commission for information and necessary action


Joint Secretary to Government.